

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 26 अप्रैल, 2021

वशिव मलेरिया दविस

प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मलेरिया जैसी घातक बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिये [वशिव स्वास्थ्य संगठन](#) द्वारा 'वशिव मलेरिया दविस' का आयोजन किया जाता है। वशिव मलेरिया दविस पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनका उद्देश्य मलेरिया को लेकर जागरूकता फैलाने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों, समुदायों और आम जनमानस के बीच सहयोग स्थापित करना है। वर्ष 2021 में वशिव मलेरिया दविस की थीम 'शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुँचना' रखी गई है। वशिव मलेरिया दविस का विचार मूल रूप से 'अफ्रीकी मलेरिया दविस' से विकसित हुआ है। अफ्रीकी मलेरिया दविस, वर्ष 2001 के बाद से अफ्रीकी देशों की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2007 में, वशिव स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र के दौरान अफ्रीका मलेरिया दविस को वशिव मलेरिया दविस के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह 'प्लास्मोडियम परजीवियों' के कारण होने वाला एक मच्छर जनित रोग है। यह परजीवी संक्रमित मादा 'एनोफिलीज़ मच्छर' के काटने से फैलता है। 'वशिव मलेरिया रिपोर्ट' 2020 के मुताबिक, वशिव स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। हालाँकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। रिपोर्ट की मानें तो भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है, जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।

पनडुबबी 'केआरआई नांगला'

इंडोनेशियाई नौसेना ने हाल ही में इंडोनेशियाई पनडुबबी 'केआरआई नांगला' (KRI Nanggala) के गहरे समुद्र में डूबने की सूचना दी है, जो कबिंते दनों अपने 53 चालक दल के सदस्यों के साथ बाली (इंडोनेशिया) के पास से लापता हो गई थी। इंडोनेशिया की यह पनडुबबी 21 अप्रैल, 2021 को एक टारपीडो ड्रिल के आयोजन के दौरान लापता हुई थी, हालाँकि इंडोनेशिया की नौसेना ने पनडुबबी के गायब होने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। 1,300 टन वजन वाली 'केआरआई नांगला-402' जर्मनी की 'टाइप-209 डीज़ल-इलेक्ट्रिक अटैक' पनडुबबी है। इसका निर्माण वर्ष 1978 में शुरू हुआ था और इंडोनेशिया को यह पनडुबबी अक्टूबर 1981 में प्राप्त हुई थी। 'नांगला' जैसी पनडुबबियों में कम-से-कम 260 मीटर को एक सुरक्षित गहराई माना जाता है। इसके नीचे की गहराई को 'क्रश डेपथ' के रूप में जाना जाता है, जहाँ पानी का वजन इतना अधिक हो जाता है कि उसे सहना पनडुबबी के लिये लगभग असंभव होता है। नौसेना द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, सोनार स्कैन ने 850 मीटर (2,790 फीट) की गहराई पर पनडुबबी का पता लगाया है, जो कि 'नांगला' की ड्राइविंग रेंज से काफी नीचे है और 'क्रश डेपथ' में शामिल है। नवीनतम दुर्घटना से पूर्व इंडोनेशियाई नौसेना के पास कुल पाँच पनडुबबियाँ थीं, जिसमें दो जर्मन निर्मित 'टाइप-209' पनडुबबियाँ और तीन दक्षिण कोरियाई निर्मित पनडुबबियाँ शामिल थीं।

वशिव बौद्धिक संपदा दविस

वशिव भर में प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को 'वशिव बौद्धिक संपदा दविस' का आयोजन किया जाता है। इस दविस के आयोजन का उद्देश्य 'रोज़मर्रा के जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिज़ाइन आदि के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समाज के विकास में रचनात्मकता तथा नवोन्मेष के महत्त्व को रेखांकित करना है। वशिव बौद्धिक संपदा दविस की शुरुआत [वशिव बौद्धिक संपदा संगठन](#) (WIPO) द्वारा बौद्धिक संपदा (IP) के संबंध में आम जनमानस के बीच समझ विकसित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल, 1970 को ही 'WIPO कन्वेंशन' लागू हुआ था। वदिति हो कि वैश्विक स्तर पर रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'वशिव बौद्धिक संपदा संगठन' का गठन किया गया है। WIPO का मुख्यालय जनिवा, स्वट्ज़रलैंड में है। भारत वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है, जो मानव बुद्धि द्वारा निर्मित होती हैं और जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसमें मुख्य तौर पर कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि को शामिल किया जाता है।

ऑक्सीजन परिवहन करने वाले जहाज़ों के लिये शुल्क में छूट

केंद्र सरकार ने देश भर के सभी प्रमुख बंदरगाहों को कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़तीरी के मद्देनज़र ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों को ले जाने के लिये सभी शुल्क माफ करने का निर्देश दिया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, सभी प्रमुख बंदरगाहों पर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोटल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप ले जाने वाले जहाज़ों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के आयात के साथ-साथ मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों के लिये भी सीमा शुल्क पर छूट देने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, इस स्थिति को मद्देनज़र विभिन्न संस्थानों पर अपने-अपने स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, उदाहरण के लिये भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' की शुरुआत की है।

